विषय सूची

01.	इस किताब के बारे में	004
02.	पैग़ाम, आपके नाम	005
03.	अपनी बात	007
04.	अल्लाह एक ही है	009
05.	एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त क्यों?	011
06.	एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं?	029
07.	औरतों के लिये पर्दे का हुक्म	033
08.	क्या इस्लाम तलवार से फैला?	049
09.	क्या मुस्लिम फण्डामेण्टलिस्ट होते हैं?	062
10.	क्या इस्लाम आतंकवाद का समर्थक है?	067
11.	मुस्लिम माँसाहार क्यों करते हैं?	081
12.	क्या जानवरों को ज़िब्ह करने का इस्लामी त़रीक़ा बेरहमी भरा है?	090
13.	क्या माँसाहारी खाना मुस्लिमों को हिंसक बनाता है?	092
14.	क्या मुस्लिम काबा की पूजा करते हैं?	095
15.	ग़ैर-मुस्लिमों के मक्का में दाखिल होने पर रोक क्यों?	097
16.	सुअर का गोश्त हराम (वर्जित) क्यों है?	100
17.	शराब हराम (वर्जित) क्यों है?	103
18.	गवाहों के बीच बराबरी	109
19.	विराषत	112
20.	आख़िरत	115
21.	मुस्लिम फ़िर्क़ों में क्यों बंटे हैं?	127
22.	इस्लाम ही की इताअ़त क्यों?	131
23.	इस्लामी ता'लीम और मुस्लिमों के अ़मल में फ़र्क़ क्यों?	153
24.	ग़ैर-मुस्लिमों को काफ़िर क्यों कहा जाता है?	156

जहाँ मर्द के लिये शादी की सही उम्र 21 वर्ष मानी जाती है वहीं लड़की 18 साल की उम्र में ही शादी के लायक़ हो जाती है। इस फ़र्क़ की वजह से शादी के लायक़ लड़कियों की ता'दाद मर्दों के बराबर हो जाती है। **यह हक़ीक़त भी नज़रअन्दाज़ नहीं की जा सकती कि सभी मर्द औरत को बीवी बनाकर रखने और इज़्ज़तदार ज़िन्दगी देने की पोज़ीशन में नहीं है। इसलिये ना-अह्ल (अयोग्य) मर्दों को भी एक अदद बीवी मिल जाती है।** अगर बहु-विवाह पर पाबन्दी लगा दी जाए तो इसका मतलब यह होगा कि क़ाबिल मर्द का रिश्ता न मिलने पर किसी बाप को अपनी बेटी की शादी ऐसे मर्द से करनी पड़ेगी जो उसकी बेटी की ज़िन्दगी को नर्क बना देगा। **शादी के बाद औरत को अपने पति के अच्छे या बुरे कामों का नतीजा भी झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि वह फलां आदमी की बीवी (मिसेज़) है। कल्पना कीजिये कि :-**

01. कोई आदमी कामचोर है, कमाने नहीं जाता, बीवी की ज़रूरतें पूरी करने की इस्तिताअ़त (सामर्थ्य) नहीं रखता क्या उसके साथ किसी औरत की शादी की जानी चाहिये?
02. कोई आदमी आवारा है, गुण्डागर्दी करता है, नशा करता है, जुआरी है, समाजकंटक है, अपराधी है, क्या उसके साथ शादी करके कोई औरत समाज में सम्मान पा सकती है?

इस सूरत में क़ाबिल मर्द व शादी के लायक औरत की ता'दाद का संतुलन बनाने के लिये **यही एक रास्ता बचता है कि क़ाबिल, दीनदार व सभ्य मर्द दो-तीन या चार औरतों से शादी करें। इस परिस्थिति में ही औरत को अच्छा शौहर मिल सकता है जिसके बारे में वह गर्व से कह सकती है कि मैं फ़लां दीनदार व सभ्य आदमी की बीवी हूं। यही नहीं उसके बच्चों को भी समाज में इज़्ज़त हासिल हो सकेगी।** इस्लाम औरत का दुश्मन नहीं है बल्कि वह तो उसे **सम्मानजनक और गरिमापूर्ण शादीशुदा ज़िन्दगी देना चाहता है।**

एक और मिषाल पर ग़ौर करें। किसी देश में 1000 मर्द और 1000 औरतें हैं। अगर उनमें से 200 मर्द ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ़ 2-2 औरतों से शादी कर लें तो उस सूरत में 800 मर्द व 600 औरतें बाक़ी बचेंगी। अब प्रचलित तरीक़े से सिंगल शादी हो तो भी 200 मर्दों को बीवी नहीं मिलेगी। दूसरे लफ़्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि औरतों के पास 200 मर्दों को ख़ारिज (निरस्त/रिजेक्ट) करने

हिन्दू धर्म में बदकारी व बलात्कार की सज़ा :

इस्लाम ने ज़िना (बदकारी/व्यभिचार) व ज़िना-बिल-जब्र (बलात्कार) के लिये कड़ी सज़ा तजवीज की है ताकि लोग इस बड़े गुनाह से बचे रहें। डॉ. ज़ाकिर नाइक ने अपनी ठोस दलीलों से षाबित किया है कि अमेरिका जैसे नामनिहाद सभ्य और पढ़े-लिखे देश में बलात्कार की ता'दाद कितनी ज़्यादा है। **जहाँ औरतें ख़ुद 'नारी स्वतंत्रता' के नाम पर मर्दों के साथ आज़ादाना सुहबत करने को ऐब नहीं समझती वहां औरत के साथ जबरन सम्बंध बनाने की वारदातें षाबित करती है कि कड़ी सज़ा के बग़ैर औरतों के जिस्म पर होने वाले इस ज़ुल्म को हर्गिज़ नहीं रोका जा सकता है। इस्लाम ने बदकारी के लिये सौ कोड़े व संगसार (पत्थर मारकर ख़त्म कर देने) की सज़ा का हुक्म दिया है। लेकिन आप ग़ौर करें और हिन्दू भाइयों से भी गुज़ारिश है कि इस्लामी क़ानून को बर्बर व जंगली कहने से पहले एक बार नीचे लिखे अपने धर्मग्रन्थों के इन हवालों को ध्यान से पढ़ लें, जिनमें बदकारी करने वालों के लिये कड़ी सज़ा का प्रावधान है,**

* पति के सिवा किसी और मर्द के साथ सुहबत करने वाली शादीशुदा औरत इस दुनिया में बुराई की हक़दार बनती है और मरने के बाद गीदड़ी बनती है। वह कोढ़ जैसी मुश्किल बीमारियों से भी तकलीफ़ पाती है। (मनुस्मृति : 5/167 व 9/30)
* आपस में तोहफ़ों का लेन-देन, हंसी-मज़ाक, गले लगाना, कपड़ों व गहनों को छूकर उनकी ता'रीफ़ करना, साथ-साथ बिस्तर पर बैठना या लेटना आदि काम दूसरी औरत से सुहबत करने के बराबर ही हैं। (मनुस्मृति : 8/356)
* पराई औरत की शर्मगाहों को छूना या अपने अंगों से छूकर उससे सुख हासिल करना भी औरत से सुहबत करने समान माना जाएगा। (मनुस्मृति : 8/357)
* पराई औरत के साथ सोहबत करने के आदी मर्दों को डरावनी सज़ाएं देकर और उनके ख़ास अंग (शर्मगाह) को काटकर राजा उसे देश से निकाल दे। (मनुस्मृति : 8/351)
* गृहस्थ ने जिस मर्द को अपनी बीवी से बात करने से मना कर दिया हो, वह उस घरवाले की बीवी से बात न करे। मना किया हुआ मर्द

बन्द' या 'भारत बंद' **का आह्वान किया जाता है। फिर इस बन्द की आड़ में समुदाय विशेष की दुकानों, मकानों को जलाया जाता है, औरतों की इज़्ज़तें लूटी जाती है, बेगुनाहों का क़त्ल होता है। हमारे देश में अगर किसी त्यौहार पर कहा-सुनी हो जाए या किसी धार्मिक जुलूस पर पथराव बाजी हो जाए तो सारा शहर आतंकित हो जाता है। ऐसी हालत में सारे** 'लॉ एण्ड ऑर्डर' **बेमानी हो जाते हैं। इस दंगों के आतंक की वजह से आपसी भाईचारा ख़त्म हो गया है।**

आतंकवाद का मतलब

आतंक फैलानेवाली विचारधारा को आतंकवाद कहते हैं। लेकिन बदक़िस्मती से आज आतंकवाद को ख़ास तौर पर इस्लाम धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। अगर कोई अपराधी कोई गुनाह करता है तो उसके लिये उसका धर्म कैसे और क्यों ज़िम्मेदार है? नीचे लिखी कुछ मिषालों पर ग़ौर कीजिये :-

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया तो अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिये। जब उत्तरी कोरिया और ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ने उन्हें 'शैतान की धुरी' कहा और हमला करने की धमकी दी। **क्या अमेरिका की यह धौंस-पट्टी, आतंकवाद नहीं?**

अपने बराबरी की ताक़त रूस को ख़त्म करने के लिये अमेरिका ने **'अल क़ायदा'** को खड़ा किया, उसे हथियार दिये, ट्रेनिंग दिलवाई, डॉलर-रियाल की मदद दी। **इस सच्चाई को सन् 2011 में पूर्व अमेरिकी विदेशमंत्री हिलेरी क्लिण्टन ने भी अल क़ायदा और उसामा बिन लादेन का नाम लेकर क़ुबूल किया।**

पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपनी किताब **'इन द लाइन ऑफ़ फ़ायर'** (हिन्दी अनुवाद **'अग्निपथ'**) में क़ुबूल किया है। परवेज़ मुशर्रफ़ ने लिखा है, **'अमेरिका, पाकिस्तान व सऊदी अरेबिया के साथ**